सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- सीबीडीटी तलाशी और जब्ती के दौरान पाई गई अघोषित आय के प्रति नियमित निर्धारण में निर्धारित की गई पिछले वर्षों/पूर्व वर्षों की हानि के समंजन की अनुमति नहीं देने के लिए उपयुक्त प्रावधान लाए।

(पैराग्राफ 2.4.1)

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि सीएजी की अभियुक्ति पहले से ही कानून में समाविष्ट है जिसके कारण आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सीबीडीटी फर्जी क्रय और बढ़े हुए इनवाइस आदि के सम्बंध में मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता की जाँच करे क्योंकि इनसे अघोषित आय मौजूदा प्रावधानों के दायरे में नहीं आती है।

- सीबीडीटी अधिनियम की संशोधित धारा 153ए/153सी के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा लागू करे।

(पैराग्राफ 2.4.2)

सीबीडीटी ने कहा (जून 2020) कि इस मुद्दे की जांच टीपीएल डिवीजन द्वारा की जाएगी।

- सीबीडीटी यह जाँच करे कि ये त्रुटियाँ, चूक या जानबूझकर की गई गलतियां हैं और उस सम्बंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।

(पैराग्राफ 2.4.3)

- *आयकर विभाग केन्द्रीय मंडल में सभी तलाशी मामलों में केन्द्रीयकरण के संबंध में सीबीडीटी के मौजूदा निर्देशों की अनुपालना की निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत करे, ताकि मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित सभी मुद्दों का समाधान किया जा सके और निर्धारण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।*

(पैराग्राफ 2.5)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि केन्द्रीयकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व की किसी हानि को रोकने के लिए और उचित निर्धारण को सुगम बनाने के लिए समूह तलाशी के साथ सीधे जुड़े सभी मामलों का एक स्थान पर निर्धारण किया गया है। लेकिन इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं कि संबंधित पक्षों को भी केन्द्रीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि जहां एक विशिष्ट निर्धारिती से संबंधित मुद्दे मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित हुए हैं, उसको केंद्रीयकृत किया जाए और निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनका निर्धारण नाम/पहचान रहित तरीके से होना चाहिए जहाँ पर निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी एक दूसरे की पहचान के बारे में नहीं जानते हों।

- विभाग यह सुनिश्चित करे कि तलाशी वारंट सूचना के समुचित परिक्षण, अनुसंधान और उचित परिश्रम के बाद जारी किया जाए जो संदेह से परे हो क्योंकि तलाशी और जब्ती में निर्धारिती और उनके परिवारों का बहुत उत्पीड़न शामिल है। न्यायिक निकाय की भूमिका की संभावना भी तलाश की जाए। सीबीडीटी कम संधारणीयता के कारणों का विश्लेषण करे और सम्बंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे।

(पैराग्राफ 2.6)

- *सीबीडीटी समान स्थितियों के तहत एक ही कानून की प्रयोज्यता में व्यापक भिन्नता के कारणों की जाँच करें तथा निर्धारण करने में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान निकाले। सीबीडीटी यह भी जाँच करे कि ये त्रुटियाँ जानबूझकर या चूक से हुई है और उस सम्बंच में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करे।*

(पैराग्राफ 2.7, 2.8 से 2.12)

- *सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त माल के साथ मूल्याकन रिर्पोट निर्धारित समय के अन्दर निर्धारण विंग को सौंपी जा सके ताकि निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये सभी मुददों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकें।*

(पैराग्राफ 3.1.1)

- *सीबीडीटी एक प्रणाली स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किए गये मुद्दों को निर्धारण के दौरान विधिवत संबोधित किया गया है।*

(पैराग्राफ 3.1.2)

- *अधिनियम के प्रावधान 132(4) का प्रभावी उपयोग करने के लिए आयकर विभाग अपनी निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत करे।*

(पैराग्राफ 3.1.3)

सीबीडीटी ने लेखापरीक्षा सिफारिश की जांच करने पर सहमति व्यक्त की (जून 2020)।

- *आयकर विभाग, विभाग के विभिन्न विंगों के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान के तंत्र को मजबूत करें और प्रभावी निर्धारणों के लिए समयबद्धता सुनिश्चित करें* और *निर्धारिती को अनुचित लाभ लेने से रोकें।*

(पैराग्राफ 3.2)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि मौजूदा प्रक्रियाएं/तंत्र विभाग के अंदर और साथ ही अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सूचना का प्रभावी आदान-प्रदान पहले से ही कर रहे हैं और बोर्ड ने समय-समय पर संबंधित क्षेत्रीय सरंचनाओं को समय-सीमा का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देशित करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए है। तथापि, सीबीडीटी ने इस बात पर सहमति दी कि मौजूदा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- *जहाँ पर कार्रवाई नोट/पृथक विवरणात्मक रिपोर्ट नहीं तैयार की गई हो वहां जिम्मेदारी निश्चित की जाए और समुचित कार्रवाई की जाए ताकि तलाशी कार्यों का उद्देश्य पराजित ना हो।*

(पैराग्राफ 3.3)

- *आयकर विभाग तलाशी अभियानों/निर्धारणों के फलस्वरूप कर दायरे में जोड़े गए नए निर्धारितियों का पता लगाने के लिए एक सिस्टम तैयार करे और यह भी देखे कि वे निर्धारिती कर अनुपालन कर रहे हैं।*

(पैराग्राफ 3.4)

सीबीडीटी ने बताया (जून 2020) कि प्र. सीआईटी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, वे चूकों का पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो।